



हमीरपुर पुलिस



थाना राठ)पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट व पुलिस के साथ अभद्रता करने वाला वांछित अभियुक्त 02 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि दिनांक 14/05/2021 को थाना जरिया क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट व पुलिसकर्मी अभद्रता करने वाला वांछित अभियुक्त अभि० वीरपाल उर्फ बंटा पुत्र कालीचरन राजपूत नि० सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर के कब्जे से दो किलो अवैध गांजा बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभि० वीरपाल उर्फ बंटा उपरोक्त के विरुद्ध थाना राठ पर मु०अ०सं० 235/21 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया । उपरोक्त अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं।

अपराधिक इतिहास-

वीरपाल उर्फ बंटा

1. Ncr 166/18 धारा 323/504 ipc ps जरिया
2. Ncr 15/19 धारा 323/504 ipc ps जरिया
3. अ०सं० 72/19 धारा 380/457/411 ipc ps डकोर जालौन
4. अ०सं० 114/20 धारा 354/504/506 ipc व 3(1) द ध sc/st एक्ट ps जरिया
5. अ०सं० 288/20 धारा 379/411 ipc ps जरिया
6. अ०सं० 296/20 धारा 3/25 A Act ps जरिया
7. 1158/20 धारा 3/25 A Act ps जरिया
8. अ०सं० 38/21 धारा 286 ipc ps जरिया
9. अ०सं० 45/21 धारा 354/323/504/506 ipc ps जरिया
10. अ०सं० 46/21 धारा 147/148/149/452/323/504/506 ipc ps जरिया
11. अ०सं० 61/21 धारा 3/25 A Act ps जरिया
12. अ०सं० 96/21 धारा 380/457/411 ipc ps राठ
13. अ०सं० 108/21 धारा 380/457/411 ipc ps राठ
14. अ०सं० 87/21 धारा 147/149/308/323/504/188 IPC व 51/57 आपदा प्रबंधन व 3 महामारी अधिनियम PS जरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री यज्ञनारायण भार्गव
2. का० कमल सिंह
3. का० पंकज कुमार
4. का० शैलेन्द्र सिंह.....थाना राठ

